न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/ 16/2018

प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम ठेई तहसील व जिला भरतपुर राज0

....अपीलान्टान

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर
2–फूलवती पत्नी चन्द्रभान । जाति जाटव निवासी ग्रांम ठेई
3–चन्द्रभान पुत्र नैकसिया । तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 19.6.2002 तहसीलदार भरतपुर बाबत खसरा नमबर 589/0.25 बाके ग्रांम ठेई तहसील व जिला भरतपुर ।

———

उपस्थितः–
1–श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक अपीलान्ट
2–पैरोकार सरकार, अभिभाषक रेस्पो.1

आदेश दिनांक 7.6.2022

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 19.6.2002 पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 19.6.2002 अप्रार्थी श्रीमती फूलवती पत्नि चन्द्रभान व चन्द्रभान पुत्र नेकसिया जाति जाटव व हि. बरा. सा.देह गैर खातेदार एलोटी दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो की तलबी की गई। रेस्पो की तलबी जरिये रजिस्ट्री की गई है। पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट पटवारी मय आबंटन पट्टा पेश किया जो शामिल मिसिल हैं। रेस्पो. न.1 पैरोकार सरकार उपस्थित, रेस्पो. न. 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये हमारा ध्यान पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आंबटन आदेश दिनांक 19.6.2002 की ओर आकर्षित करते हुये बाताया कि आराजी खसरा नम्बर 579/0.25 रेस्पो. न. 2 व 3 को आंबटन किया गया था ना कि खसरा नम्बर 589/0.25 , तहसीलदार भरतपुर ने गलत रुप से खसरा नम्बर 589/0.25 पर रेस्पो. को अलोटी दर्ज कर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कब्जा की बाबत कोई जांच नहीं की है, रेस्पो. का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि आबंटन आदेश दिनांक 19.6.2002 के खिलाफ अपीलान्ट ने एक अपील राजस्व अपील

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई थी, राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने निर्णय दिनांक 10.5.2012 में अपील स्वीकार की जाकर आंबटन आदेश दिनांक 19.6.2002 बाबत आराजी खसरा नम्बर 579, 590, 633 व 627 ग्रांम ठेई निरस्त किया गया है। इस कारण आंबटन आदेश की कोई विधिक मान्यता नहीं रही है। अपीलांट का हित आराजी खसरा नमबर 589 में निहित है तथा नामान्तकरण से सम्बन्धित आंबटन आदेश दिनांक 19.6.2002 को अपीलांट ने चुनौती दी है इस कारण प्रार्थी का हित निहित है। अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 272 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील की देरी के बाबत म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 पेश किया है, अपील को देरी को माफ किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट का हित निहित है अपील पेश करने इजाजत के लिये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया गया है स्वीकार किये जाने की प्रार्थना करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपील देरी से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में देरी का दिन वाईज कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट ने अपील के साथ जो फोटो प्रति बिना प्रमाणित कथित आंबटन आदेश दिनांक 19–6–2012 वह प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि नहीं है जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं मानी जासकती है। पैराकार सरकार का कहना है कि तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पट्टा सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है उसमें अप्रार्थीगण 2 व 3 को आराजी खसरा नम्बर 589/0.25 ग्रांम ठेई के आंबटन का स्पष्ट अंकन है, जिसके आधार पर तहसीलदार भरतपुर अपीलाधीन नामान्तकरण सही स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का अपील में कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अस्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 19.6.2002 पर गौर किया गया। नामान्तकरण आराजी खसरा नम्बर 589/0.25 ग्रांम ठेई के कॉलम 7 में "सिवाय चक लगानी" का अंकन है, कॉलम संख्या 9 में "..... श्रीमती फुलवती पत्नि चन्द्रभान व चन्द्रभान पुत्र नेकसिया जाति जाटव व हि. बरा. सा देह गैर खातेदार एलौटी आंबटन तिथि 19–6–20.." दर्ज है, कॉलम नं. 14 में आंबटन आदेश दिनांक 19–6–2002 एवं कॉलम संख्या 16 में मुताविक आंबटन आदेश के मौके पर कब्जा दिया जाकर नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत हेतु सेवा में पेश है का अंकन हो रहा है।

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 272 में हो रहे उक्त इन्द्रांजात से यह निर्विवाद है कि यह नामान्तकरण मुताविक आबंटन आदेश दिनांक 19.6.2002 के तहत जारी पट्टा आंबटन के आधार पर रेस्पो. 2 व 3 के हक में आराजी खसरा नम्बर 589/0.25 ग्रांम ठेई स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि रेस्पो. 2 व 3 का विवादित आराजी खसरा नम्बर 589 पर कब्जा नहीं रहा स्वीकार योग्य नही है क्यों कि नामान्तकरण संख्या 272 के कॉलम नं. 16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 589 पर रेस्पो0 को कब्जा दिया गया है। योग्य अभिभाषक का यह कथन कि आंबटन आदेश 19.6.2002 में रेस्पो 2 व 3 को खसरा नम्बर 579/0.25 आंबटन किया गया था, खसरा नम्बर

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

589 / 025 पर गलत नामान्तकरण खोला गया है, यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है – क्यों कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण 272 में रेस्पो. के हक में हुये आबटन की पालना में जारी आंबटन पट्टा के आधार पर दर्ज किया गया है, तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त सत्य प्रतिलिपि आंबटन पट्टा में स्पष्ट रुप से आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 0.25 हे0 का आंबटन रेस्पो. न. 2 व 3 के हक किया जाना निर्विवाद है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कथित फोटो प्रति आंबटन आदेश दिनांक 19.6.2002 सुस्पष्ट नहीं तथा प्रमाणित प्रति नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.5.2012 का अवलोकन किया गया, राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 10–5–2012 के अन्तिम पैरा में अंकित किया है जो इस प्रकार है :–

> ".....आंबटन आदेश दिनांक 19.6.02 बाबत आराजी खसरा नम्बर 579, 590, 633 व 627 बाके ग्रांम ठेई तहसील भरतपुर निरस्त किया जाता है कि विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में पूर्वत राजकीय खाते में दर्ज किया जावे..... ।"

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 579, 590, 633 व 627 बाके ग्रांम ठेई का आंबटन निरस्त किया जाकर पूर्वत राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं, उक्त निणर्य में विवादित आराजी खसरा नम्बर 589 / 0.25 का कोई जिक्र नहीं है। अपीलान्ट ने मौखिक कथनों के सिवाय ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे उसके मौखिक कथनों विवादित आराजी में हित निहित होना माना जासके। अपीलान्ट का विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण से परिवेदित नहीं है और ना हीं इनका विवादित आराजी में कोई Locus standi है। अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पो. को आराजी खसरा नम्बर 579 आंबटित हुआ है स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्रांम ठेई के अवलोकन से जाहिर है कि अन्य खसरा नम्बरान के साथ आराजी खसरा नम्बर 579 / 0.2000 ग्रांम ठेई पर टीकमसिंह, दिनेश कुमार, राजेन्द्रसिंह रामश्री, लोकनसिंह व समन्द्र सिंह जाति जाटव बहिस्सा 1 / 6 खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अपीलान्ट ने यह अपील असाधाररण देरी 16 साल बाद पेश की गई है, अपीलार्थी ने अपने म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 में भी 16 साल की देरी पेश करने का कोई कारण (साक्ष्य) का उल्लेख नहीं किया है, केवल मात्र जुबानी यह कथन किया है कि वह उच्च अधिकारियों से निवेदन करता रहा है स्वीकार योग्य नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया, अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी में यह कथन करना कि आराजी खसरा नम्बर 589 में प्रार्थी का हित निहित है , उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट का विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है और ना हीं अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलाधीन नामान्तकरण से अपीलान्ट किसी भी प्रकार से परिवेदित नहीं है और ना हीं इनका विवादित आराजी में कोई Locus standi है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी काबिल खारिज के रहता है। अपीलार्थी किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7–6–2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर